>

Title: Need to include the 'Kaul' tribe in the Scheduled Tribes list in Uttar Pradesh.

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं एक ऐसी समस्या और ऐसे सवाल पर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो सरकार से संबंधित है। वह आदिवासी भाइयों की समस्या है। उत्तर प्रदेश और मुख्य रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में एक कोल आदिवासी जाति रहती है और उनकी संख्या लगभग ६५,००० है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि कोल जाति के रहने वाले लोग मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी से बिहार के बार्डर चकिया तक उनका इलाका है। चिन्ता का विषय यह है कि कोल आदिवासी और प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है लेकिन उत्तर प्रदेश में वह अनुसूचित जनजाति में नहीं आती। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोल आदिवासी जाति के लोगों के अनुसूचित जनजाति में न आने के कारण उनको अनुसूचित जनजाति की जो सुविधा मिलनी चाहिए, वे उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश में जो कोल आदिवासी भाई रहते हैं, उनको भी अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया जाए जिससे वे उन सुविधाओं से वंचित न रह सकें। यहां संबंधित संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित हैं, उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का कोई आश्वासन दें। ... (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : यह वाजिब मांग है, इसे पूरा किया जाना चाहिए।

... (व्यवधान)

श्री राम नाईकः सभापति जी, कुछ जातियां एक प्रदेश में अनुसूचित होती हैं, वही जाति अन्य प्रदेश में ओ.बी.सी. होती है, इस प्रकार की स्थिति है जैसे उदाहरण के लिए मैं राम नाईक हूं, नाईक लोग शैडयूल्ड कास्टस में हैं, शैडयूल्ड ट्राईब्स में हैं, ओ.बी.सी. में हैं, ब्राहमणों में हैं, मराठा में हैं, सब जातियों में हैं और अलग-अ लग प्रदेशों में अलग-अलग होते हैं। इस बात के लिए पहले माननीय सदस्य के अपने प्रदेश की ओर से यह सिफारिश आनी चाहिए कि इस प्रकार का परिवर्तन करना है।

... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : मेरे प्रदेश से इसकी अनुशंसा केन्द्र सरकार को आ चुकी है।

... (व्यवधान)

श्री राम नाईकः आप सुनिए, मैं आपकी समस्या सुलझा रहा हूं। इस प्रकार की रिकमैंडेशन जब प्रदेश सरकार से आएगी तो इस बात को मिनिस्टर के सामने रखकर उसके बारे में उचित फैसला करेंगे।

... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : वह आ चुकी है।

सभापति महोदय, वह अनुशंसा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आ चुकी है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें कहीं कोई कल्पना की जरूरत नहीं है, उसमें सीधे सरकार के आदेश की जरूरत है।